रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032025-261694 CG-DL-E-18032025-261694

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 143]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946

No. 143] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 18 मार्च. 2025

सं. 14/2025-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 178(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28घक के साथ पठित धारा 156 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा सीमा शुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 में संशोधन करती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों को सीमाशुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) संशोधन नियम, 2025 कहा जा सकता है।
- (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. सीमाशुल्क (व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 में, -
- (क) नियम 2 में, उप-नियम (1) में, खंड (च) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर, "प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; 1798 GI/2025

- (ख) नियम 3 में, -
- (i) उप-नियम (1) में, -
- (क) खंड (ग) और (घ) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर, "प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) खंड (घ) में, उप-खंड (i), (ii) और (v) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर, "प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii) उप-नियम (2) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर "प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) नियम 6 मे, -
- (i) उप-नियम (1) में, "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर "प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-नियम (1) में. खंड (क) और (ख) में. "प्रमाणपत्र" शब्द के स्थान पर "प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा:
- 3. प्ररूप I में, खण्ड III के, भाग ख में, पैरा 2 में, क्रम संख्या छ में, "सीओओ" अक्षरों के स्थान पर "मूल का प्रमाण" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआईसी-15021/122/2024-आईसीडी-सीबीईसी]

मेघा बंसल. अवर सचिव

नोट: मूल नियमावली भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 521(अ) दिनांक 21 अगस्त. 2020 के प्रकाशित किए गया था।

MINISTRY OF FINANCE (Department Of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2025

No. 14/2025- Customs (N.T.)

- **G.S.R.** 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 read with section 28DA of the Customs Act, 1962, the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby amend the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020, namely:-
 - 1. (1) These rules may be called the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Amendment Rules, 2025.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020, -
 - (a) in rule 2, in sub-rule (1), in clause (f), for the word "certificate", the word "proof' shall be substituted;
 - (b) in rule 3,—
 - (i) in sub-rule (1),
 - (A) in clauses (c) and (d), for the word "certificate", the word "proof' shall be substituted;
 - (B) in clause (d), in sub-clauses (i), (ii) and (v), for the word "certificate", the word "proof' shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (2), for the word "certificate", the word "proof" shall be substituted;
 - (c) in rule 6, -
 - (i) in sub-rule (1), for the word "certificate", the word "proof shall be substituted;

- (ii) in sub-rule (1), in clauses (a) and (b), for the word "certificate", the word "proof' shall be substituted:"
- 3. In Form I, in Section III, in Part B, in paragraph 2, at serial number g, for the letters "CoO", the words "proof of origin" shall be substituted.

[F.No. CBIC-15021/122/2024-ICD-CBEC]

MEGHA BANSAL, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 521(E), dated the 21st August, 2020.